14.55 hrs.

FREEDOM FIGHTERS (APPRECIATION OF SERVICES) BILL

PROF. S.L. SAKSENA (Maharajganj) : I beg to move : *

"That the Bill to honour freedom fighters by State appreciation of their services be taken into consideration.

This is a Bill which I think no Member in this House can oppose. This Bill is for appreciation of the services of freedom-fighters. Everybody knows that these freedom-fighters have not been given the concessions that are due to them, during the last 24 years of our Independence. It is a matter of shame that even after this country has become independent, most of the freedom-fighters are in a miserable condition and Government have not taken any care to look after them.

I know that there are some States which have given some paltry pensions to these treedom-fighters, and that too after their giving applications and having them verified by the magistrates etc. I think the humiliation which this involves is something which many of the freedom-fighters would not like to undergo. These freedom-fighters had lost their lives, had lost their properties and had lost their everything for the sake of freedom. Some of them are still living. Do we want that they should go now to the district magistrates and get the pariculars verified that they went to jail and they did this or that ? I think it is derogatory to their honour, and they would rather die than do all these things. I submit that it is the duty of the Government to find out who these freedom-fighters were who have brought them to this august House and give them the powers of Government and done honour to them. But Government have done nothing like that. The pensions that are being given to them are so paltry that it is really shameful that these should have been given at all.

I have received hundreds of letters from the freedom-fighters of our country welcoming my Bill and asking me to do something to help them in their present condition. I am really surprised and shocked at the condition in which they are at present passing on their days.

I have got here with me some applications from the freedom-fighters in the Lahore Conspiracy case, who are getting a pension of just Rs. 25, although they were crippled and disabled for life.

14.57 hrs.

[SHRI K.N. TIWARY *in the Chair*]

Some of them have received some replies. I think that it is Government's duty to find out who these freedom-fighters are and what they did, and to make a Roll of Honour of these freedom-fighters and to give them proper appreciation by giving them suitable pensions.

It is with this end in view that I have moved this Bill for consideration. I have stated in the Statement of Objects and Reasons:

"It is now nearly twenty-five years since India won freedom. But no appreciation has been accorded to freedom-fighters or their families. Many of the freedom-fighters or their dependents are living in objcct misery, while many traitors of the freedom struggle have been given positions of honour under Government. The mother of the Great Martyr Shri Chandra Shekher was known to be living as a pauper for many years. The meagre pensions to so-called political sufferers given by some State Governments are an insult to the freedom-fighters. The name 'political sufferer' to the heroes of the freedom struggle is also an insult to them. Every country remembers the martyrs and heroes of her freedom struggle with pride and does all it can to bestow honour on them. The Bill is intended to fulfil this great object of showing gratitude to our freedom-fighters. The cost of pensions to the freedom-fighters, proposed in the Bill is about Rs. 252 lakhs per annum which is about half the amount of privy purses given to the Princes every year."

*Moved with the recommendation of the President.

I submit that this is a Bill which was long overdue. I had a talk with Shri K.C. Pant in regard to this matter, and he had assured me that Government themselves were very liberal and that he would also try to do something and he would talk to me and discuss it. But unfortunately, for the last three days, he has been busy with the Constitution Amendment Bills, and he could not do so. Perhaps he thought it would not be coming today that is why he is absent today. I hope he will accept the Bill and help the freedom fighters in the manner they deserve.

15 hrs.

I have received suggestions from almost every quarter for improving the Bill. I have therefore tabled amendments to this end. These are necessary to bring it in conformity with the wishes of my correspondents. The amendments have been circulated. There are 13 or 14 of them, and these are in line with the wishes of the freedom fighters.

Government have on several occasions expressed concern for the freedom fighters. In fact, in this year's Budget, they have provided Rs. 10 lakhs which I have said is too paltry a sum for the freedom fighters. Many have written to me to say that the pensions given are too meagre and the process by which they have to obtain is so difficult and humiliating that they do not like to undergo that.

I request the house to support my Bill and persuade Government to accept it so that honour is done to our freedom fighters.

MR. CHAIRMAN : Motion moved :

"That the Bill to honour freedom fighters by State appreciation of their services, be taken into consideration."

SHRI M. C. DAGA (Pali) : I beg to move :

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 1st March 1972."

MR. CHAIRMAN : Both the original motion and the motion for circulation are now before the House.

*SHRI E. R. KRISHNAN (Salem) : Mr. Chairman, Sir on the Bill brought before the House by Shri Shibban Lal Saksena, I would like to say a few words.

During the last two days, this House created a glorious chapter in the history of independent India. Sir, I am referring to the two Constitution Amendment Bills passed by the House. It is my sincere belief that as a result of these two amendments to the Constitution, the Government would be greatly helped in eradicating and rooting out the widespread poverty in our country. I also hope the Government would be taking all the necessary and important measures to bring in an egalitarian society in our country.

However, Sir, I would like to ask the Government as to the kind of assistance and succour they have provided to the hundreds of valiant freedom fighters of our country who lost everything while dedicating themselves for the noble cause of liberating India from the foreign yoke ?

The Central Government formulated a scheme and brought into effect from 2nd October 1969 to provide some financial assistance to those freedom fighters who served a sentence of not less than five years in the Andaman jail. Even this scheme of assistance, imperfect as it is, could be thought of only after 22 years of independence. Under this scheme the Government are extending financial assistance to 210 families of the freemdom fighters who had served not less than 5 years sentence in the Andaman jail. The total expenditure incurred by the Government in extending financial assistance to these freedom fighters is about Rs. 43,070 per mensem. I would ask the Government whether, in their view, there were only 210 such freedom fighters who served sentences of imprisonment in the entire period of our freedom struggle.

Sir, as I earlier pointed out this scheme applied only to such of those prisoners who served not less then 5 years in the Andaman jail while fighting for the freedom of

*The original speech was delivered in Tamil.

[Shri E.R. Krishnan]

our country. I would like to know the attitude of Government to the freedom fighters who served sentences of less then 5 years. Do the Government feel no sympathy for the hundreds of freedom fighters who suffered from all sorts of misery but served only sentences of less than 5 years ? Again, Sir, what about the multitudes of freedom fighters who served various sentences in the prisons of India and not in Andaman. Is it the contention of the Government that they do not deserve any assistance from the Government ? I am aware, Sir, that a mention has been made in the annual report of the Ministry of Home Affairs that this matter is under the consideration of the Government. It is pertinent to ask the Government as to what action they have taken in relieving the hardships faced by the freedom fighters and their families I would like the Minister to explain the nature of action the Government have taken in this matter.

Sir, the Government are granting political pensions totalling upto Rs. 18 lakhs to the families of ex-rulers every year. From 1966-67 to 1970-71, a sum of Rs. 92.22 lakhs has been given to these families. This scheme of granting political pensions was formulated by the British Government in India and surprisingly the Government of India are continuing to enforce the scheme even today. A Government which did not hesitate to amended the Constitution to evolve a socialistic society in the country has no no justification what soever to implement a scheme for granting political pension to the ex-rulers and spending lakhs of rupees to implement it. I would like to know from the Minister as to when the Government are going to put an end to the wholly unjustified scheme. If this scheme is given up a large amount of money would become available which could be fruitfully employed in bringing succour to needy and indigent families of the freedom fighters who served long sentences of imprisonment in the Andaman jail.

Sir, we are well aware that some of the national leaders who participated in the heroic struggle for independence are today Ministers in either the Central Government or in the State Governments. Even the sons and daughters of those national leaders who passed away are also Ministersr. We see the strange spectacle of hereditary ministership even in a democratic set up of Government. Is it conceivable Sir, that, but for the millions of men and women who sacrificed what all they had and joined the the freedom movement standing united behind these leaders, we can see some leaders as Ministers in the Central Government and in the State Governments. Thousands of families of the freedom fighters are spread all over the entire country and most of them are living in conditions of abject misery and peverty. These families are self-respecting families and may not approach the Government by themselves for any assistance. It is, indeed, the solemn and sacred duty of the Government to take census of the families of the freedom fighters who number in several thousands and come forward to extend some meaningful financial assistance to them. It is the least that the nation can do in discharging its debt of gratitude to those fearless freedom fighters.

Government have announced their proposal to install a monument in commemoration of the memory of the innumerable heroic freedom fighters who participated in the liberation movement during the period from 1857 to 1947 and that the proposed monument would be installed before April 1972 in front of the Red Fort in Delhi. To our uttar dismay and indignation we do not see any sign of the proposal being implemented in the very near future, in spite of the proposal being very belated, coming as it does after 24 years of our independence. I would request the Minister to announce the time by which this monument would actually be installed.

Sir, at this juncture, I cannot but help referring to the keen interest evinced by the DMK Government in Tamil Nadu in extending their helping hand to the freedom fighters in Tamil Nadu. Till March 1967, the Congress Government which was ruling in Tamil Nadu could extend financial assistance of Rs. 50 per month to only 60 families of freedom fighters. But since the assumption of office by the DMK the Tamil Nadu Government have extended financial

assistance to as many as 6,000 families of freedom fighters. One Congress MLA of Tamil Nadu made an appeal to the State Government that all the political sufferers who have applied for the financial assistance upto 15th October, 1971 should be granted such assistance. The DMK Government had no hesitation in acceeding to the demand of this Congress MLA and took immediate steps in granting financial assistance to the applicants. I am referring to this to show that the Government of Tamil Nadu belonging to the DMK do not make any distinctions based on political affiliations and are ever willing to help the freedom fighters to which ever party they might belong. I can quote innumerable individual cases to prove that the Tamil N du Government have no political bias in granting financial assistance to the political sufferers. However, I would make mention of only three such cases. Nammakkal Ramalingam Pillai poet laurette of Tamil Nadu who has many poems awakening the freedom spirit in the people to his credit has been granted a financial assistance of Rs. 250 per month. Parali S. Nellaiappar was granted a sum of Rs. 150 per mensem. Virudhunagar Sankaralinga Nadar has been granted a sum of Rs. 250 per month and he was the person who undertook a fast for 70 days demanding change in the name of Madras State to Tamil Nadu.

Sir, I wholeheartedly extend my full support to the Bill brought forward by Shri Shibban Lal Saksena as suggested under clause 4 (d) of the Bill, the family of the freedom fighter who was shot dead must be given Rs. 500 a month; the family of the freedom fighter who had served 5 years of imprisonment should be given Rs. 300/- a month; the family of a freedom fighter who had undergone one year's imprisonment should be given Rs. 150/- a month. I would strongly urge upon the Government to implement all the suggestions made in clause 4 of the Bill. If necessary, the Government should not hesitate to increase the sum of Rs. 2.52 crores per annum to implement the proposals contained in this Bill. With these few words I conclude.

श्री डी० एन० तिवारी (गोपालगंज) : सभापति महोदय, सारा देश और खासकर यह सदन, श्री सक्सेना का आभारी है कि उन्होंने इतना महत्वपूर्ण विषय सदन के सम्मुख रक्खा। आप जानते हैं कि 1920 के पहले से बहुत से फ्रीडम फाइटर्स इस देश को आजाद कराने के लिए कटिबद्ध थे। उन लोगों में से शायद ही कोई अब जीवित हो। लेकिन अभी भी 1921, 1930 और 1942 के फ्रीडम फाइटर्स जीवित हैं। उन की दशा क्या है अगर यह आप के सामने या सदन के सामने वर्णन किया जाये तो सिवा आंखों में आंसू आने के और कुछ हो नहीं सकता है। मैं और तो ज्यादा नहीं जानता, लेकिन 1914 से जो लोग फ्रीडम फाइट चलाते रहे, 1921 में, 1930 में और 1942 में, उन का मेरा साथ रहा है। वह लोग नौजवान थे। अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ कर उस आन्दोलन में कूद पड़े। घर के लोग उन के खिलाफ थे। उस के बाद जब फिर पढ़ने गये तब ब्रिटिश गवर्नमेंट उन से बड़ी ह्यूमिलिएटिंग अन्डर-टेकिंग मांगती थी। उन लोगों ने वह अन्डर-टेकिंग देने से इन्कार किया और बिना शिक्षा के रह गये। आज तक वह पूरी तरह शिक्षित नहीं हो सके।

समय बीतने के साथ 1914 में, 1921 में, 1930 और 1942 में जो लोग बालक थे वह जवान हुए। उन की जवाबदेही अपने परिवार की तरफ बढ़ी। उन के शादी विवाह हुए, लड़के हुए। वह अपने लड़कों को पढ़ा नहीं सकते थे, लड़कियों की शादी नहीं कर सकते थे क्योंकि उन के पास पैसा नहीं था। बहुत से फ्रीडम फाइटर्स ऐसे हैं जिन को दोनों समय ठीक से खाना भी नहीं मिलता। जो लोग गोलियों से मार दिये गये या नैचुरल डैथ को प्राप्त हुए वह तो किसी तरह सुख से गये, लेकिन जो जीवित शहीद हैं—हम लोग शहीद कहते हैं किसी को उस के मरने के बाद, लेकिन हमारे यहां राजनीतिक पीड़ित जीवित शहीद हैं—जो तिल तिल कर गल रहे हैं, उन के बारे में हमने 1947 से ही सुन रक्खा था कि सब को रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट दी जायेगी, उन को जमीनें मिलेंगी और ऐसी रकम दी जायेगी

[श्री डी०एन० तिवारी]

जिससे वह अपनी रोजी रोटी कमा सकें। लेकिन आज तक चन्द लोगों को छोड़ कर किसी को कुछ दिया नहीं जा सका।

किसी भी लड़ाई में जब सोल्जर्स-डिमोबिलाइज हो जाते हैं तब हम लोग उन को बसाने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में हम लोगों पर गोलियां चलाई थीं वह भी जब लड़ाई के बाद डिमोबिलाइज हुए तब उन को बसाने की कोशिश की गई। जब भी लोग नौकरी छोड़ कर आते हैं तब यह सर्कुलेट किया जाता है कि उन को पेंशन दी जाय या उन को नौकरी दी जाये। लेकिन फ्रीडम फाइटर्स के लिये यह नहीं है। उनके लड़कों के लिये कुछ नहीं है। वह खुद तो पढ़े नहीं, लेकिन उन के लड़कों की शिक्षा का प्रबन्ध तो होना चाहिये। आज सर्टिफिकेट ढूंढा जाता है। कहां से लायें वह सर्टिफिकेट, कहां से लायें एक्स्पीरिएंस ? उन को नौकरी भी नहीं मिल सकती है, यह हम को दुःख के साथ कहना पड़ता है। अभी हमारे डी०एम०के०के० भाई ने कहा कि गवर्नमेंट में वैसे ही लोग जायें जो फ्रीडम फाइटर थे, सफरर रहे हों। लेकिन आप देखेंगे कि आज एक चौथाई लोग भी ऐसे नहीं है जो फ्रीडम फाइट में शामिल रहे हों, केवल सैंटर में ही नहीं, राज्यों में भी यही हालत है। कारण यह है कि उन में से बहुत से लोग तो मर गये, और जो रह गये उन की अवहेलना हुई। मैं कहना चाहता हूं कि फ्रीडम फाइटर्स को सरकार में लेना चाहिये था।

आज हम देखते हैं कि नये नये मिनिस्टर हुए, लेकिन जो फ्रीडम फाइटर्स में वह खुशामद नहीं कर सकते थे, इसलिये उन को दूर रखने की कोशिश की गई और एक एक कर के उन को दूर फेंका गया। जो लोग खुशामदी थे, नये नये लोग अधिक खुशामद कर सकते थे, अधिक सेवा कर सकते थे उन्हें लिया गया। यही कारण है कि जो फ्रीडम फाइटर्स थे 1921 के 1930 के और 1942 के आज वह गांवों में पड़े हुए हैं। आज तो वह लोग पोलिटिकल आदमी भी नहीं समझे जाते हैं क्योंकि हमारा शासन उन से सलाह मशविरा करना भी उचित नहीं समझता। आज अगर वह मिलने आते हैं तो उन्हें मंत्रियों से समय नहीं मिलता है। श्री सक्सेना ऐप्रिसिएशन की बात कहते हैं। फ्रीडम फाइटर्स घर बैठे हुए हैं, जब वह मिलने आते हैं तो उन को टाइम तक तो मिलता ही नहीं।

मुझे यह देखकर अफसोस होता है कि यहां कहा जाता है कि इस बिल को सर्कुलेट कर दिया जाये। आखिर क्यों सर्कुलेशन के लिये इसको भेजा जाये। अगर कुछ करना हो तो कीजिये सर्कुलेशन में भेज कर क्या आप और समय लेना चाहते हैं ? क्या सात आठ बरस बीत जाने के बाद आप इस चीज को समझेंगे जब कि कोई पेंशन लेने वाला नहीं रह जायेगा ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कोई बाकी ही नहीं रह जायेगा।

श्री डी० एन० तिवारी : अब भी कुछ लोग हैं जिन को राहत दी जा सकती है। अभी हम ने डी०एम०के०के० माननीय सदस्य की बात सुनी कि उन की सरकार ने 6,000 आदमियों को 1967 के बाद पेंशन देने का प्रबन्ध किया है। आल आनर्स टु थेम। मैं उन को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने यह अच्छा स्टेप लिया है। बिहार में कुछ लोगों को केश रुपया दिया गया था। एक फारमूला बनाया गया था कि जितने दिन कोई जेल में रहा हो उस को देख कर के 25 रु० महीना के हिसाब से दिया जाये। अगर कोई छः महीने रहा तो उस को 150 रु० दिया जाये, एक साल रहा तो 300 रु० दिया जाए। मेरी समझ में नहीं आता कि कोई आदमी 150 रु० से या 300 रु० से क्या करेगा। जिन के घर लूटे गये, जिन पर जुर्माना हुआ, उन में बहुतों का पैसा वापस नहीं हुआ, उनको कोई कम्पेन्सेशन नहीं मिला और वह पिलर टु पोस्ट

दौड़ रहे हैं, इस उम्मीद पर कि कांग्रेस की सरकार है, शायद कुछ पैसे मिल जायेंगे। लेकिन यहां पर तो अपने शासन को अक्षुण्ण रखने की फिक्र है। जो साइकोफैन्ट्स थे, खुशामदी थे, राय बहादुर थे उनको इस शासन ने भी तरजीह दी, फ्रीडम फाइटर्स को तरजीह नहीं दी गई। माफ कीजियेगा, सभापति महोदय, आप खुद फ्रीडम फाइटर थे। आप को मालूम है कि हमारे बिहार में फ्रीडम फाइटर गांवों मे रहते हैं, शहरों में वह बहुत कम हैं। उस समय शहरों में बहुत कम लोग आजादी की लड़ाई में भाग लेते थे, उस में तो देहात ही टूट पड़ते थे। वहां से जिन लोगों ने 1930, 1942 के आन्दोलनों में भाग लिया उन की हालत को आप जाकर देखिये। उन की देह पर वस्त्र नहीं है, जाड़े में ओढ़ना नहीं है, बेचारे खुले में ठिठुरते हैं। क्या आप उन के लिये कुछ नहीं कर सकते हैं, उन को कुछ दे नहीं सकते हैं ?

मैंने 1954-55 की बजट स्पीच में कहा था कि हम लोगों को उन लोगों का कुछ ख्याल करना चाहिये। लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई कि जो लोग पांच वर्ष जेल मे रहे हैं और जो विदेशों के जेल में रहे उन को दिया जाये, हिन्दुस्तानी जेलों में रहने वालों को न दिया जाये। हम लोगों ने प्रेस किया, और शायद श्री सक्सेना भी उन में थे, कि जो पांच वर्ष यहां की जेलों में रहे उन को भी दिया जाये, चाहे वह अन्डर-ट्रायल रहे हों या सजायाफ्ता रहे हों। शायद उस को मान लिया गया। कुछ लोग जो अन्डमन में रहे थे उन्हें मिल भी रहा है, लेकिन जो यहां की जेलों में थे उन को कुछ नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्यों। इस में डिस्क्रिमिनेशन करने को क्या बात है ? उन्हें भी दिया जाये। फिर जो पांच वर्ष तक रहे उन के ही बारे में क्यों सोचते हैं ? आप यह कह सकते हैं कि वी पोलिटिकल आदमी नहीं थे, यों ही पकड़ कर जेल में बन्द कर दिये गए, उन को न दें, लेकिन जो लोग जेल जाने के पहले और उस के बाद फ्रीडम के लिए काम करते रहे, जो अंग्रेजों से जूझते रहे उन में आप डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर सकते हैं ? बहुत से लोग घर द्वार छोड़ कर 1942 में बाहर चले गये, अपने प्रान्तों को छोड़ कर दूसरे प्रान्तों में चले गये, जंगलों में चले गये, कहीं और छिप कर रहे। आज उन लोगों का नाम भी नहीं लिया जाता। आप कहते हैं कि पोलिटिकल सफरर होने का वे सर्टिफिकेट लाएं। श्री सक्सेना ने ठीक कहा है कि ऐसा करने के लिए उन को डी० एम० के पास जाना पड़ेगा और उसके सामने हाथ जोड़ने पड़ेंगे। उनको बताना पड़ेगा कि हम जेल गए थे। वह कहेगा कि ठीक है कि आप जेल गए थे आप फलां थाने में जाओ और वहां से इनक्वायरी करा लो, तब हम सर्टिफिकेट देंगे। इन लोगों को उनके पास जाना पड़ेगा जिन्होंने इनको जेल भेजा था और उनके सामने हाथ जोड़ने पड़ेंगे। बहुत से कैबनिट मिनिस्टर हैं जो जेल नहीं गये। लेकिन कुछ लोग अभी भी मिनिस्टरों में हैं, जो जेल गए हैं, जो भुक्तभोगी रहे हैं। लेकिन उनकी संख्या बहुत कम हो गई है। उन्हीं से मैं अपील कर सकता हूं। वे तो सोचें। उन पर भी तो लाठियां चली थीं, उन को भी तो पकड़ कर ले जाया गया था। उस वक्त वे भी कहते थे कि आजाद होने पर सबको हम रिहैबलिटेट करेंगे, सबका प्रबन्ध करेंगे। क्या वह हो गया है ?

सभापति महोदय, कल और पिछले दो तीन दिनों में हमने दो बिल पास किए हैं। एक प्रिवी पर्सिस के बारे में था। दूसरा सरमायेदारों के बारे में, अमीर लोगों के बारे में। इसको लेकर बड़ी बड़ी लम्बी चौड़ी दलीलें दी गई। लीगल नाइस्टीज वाली तकरीरें तीन दिन तक चलीं। ऐसी तकरीरें शायद ही और कभी हुई हों। लेकिन यहां केवल उनकी रक्षा करने के लिए वे हैं। मैं धन नहीं चाहता। मैं तो समझता हूं कि धन बिना बेईमानी के नहीं आता है। जब तक कोई बेईमानी नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, जबर्दस्ती नहीं करेगा, तब तक उसके पास धन इकट्ठा नहीं हो सकता

[श्री डी०एन० तिवारी]

है । कोई भी मजदूर, कोई भी साधारण जीवन यापन करने वाला आदमी धनी नहीं बन सकता है । धन उसी के पास हो सकता है जो या तो इनकम टैक्स की चोरी करता है या लोगों को गुमराह करता है या जबर्दस्ती छीन लेता है । या फिर कोई उसको दान दे दे और कह दे कि जाओ इस इलाके पर तुम राज्य करो । इसके अलावा धन नहीं आता है । मैं धन नहीं चाहता । मैं तो यही चाहता हूं कि आजादी के दिवानों के भरण पोषण का प्रबन्ध आप करें । जिन लोगों की वजह से हम यहां बैठे हुए हैं उनके प्रति हमें इतना अकृतज्ञ नहीं होना चाहिए । उनको हमें भूल नहीं जाना चाहिए । उनको भी कभी कभी याद करते रहना चाहिए । एक मनुष्य होने के नाते उनके प्रति हमारा भी कुछ कर्तव्य है, इसको हमें भूल नहीं जाना चाहिए । अगर हम उनके वास्ते कुछ करते हैं तो यह कोई अहसान नहीं है । यह एक कर्तव्य है जिसका हम निर्वाह करते हैं । उन लोगों ने आपको और हमें जन्म दिया है । अगर वे न होते तो यह सदन भी न होता और यह गवर्नमेंट भी नहीं होती । किसी भी विचार के वे रहे हों, नान वायोलेंस में विश्वास उनका रहा हो या वायोलेंस में रहा हो, अगर वे स्वतन्त्रता की लड़ाई में अग्रसर न होते तो न यह सदन होता और न ही यह गवर्नमेंट होती । उनका जो अहसान है उसको हम जन्म भर नहीं भूल सकते हैं । हमें उनकी मदद करनी है । लेकिन मुझे अफसोस है कि हम उनको इतनी जल्दी भूल गए हैं । उनको तथा उनके बाल बच्चों को उनके जीवन काल में ही तकलीफ भोगनी पड़े, उनको दर दर की भीख मांगनी पड़े, यह शोभनीय नहीं है हमारे लिए । जब मैं उनको इस हालत में देखता हूं तो मेरा दिल भर आता है । हम लोग अच्छा खाते है, अच्छे मकानों में रहते हैं, पांच सौ रुपया महीना भी पाते हैं । हम जब जाते हैं और पोलिटिकल सफरर हमारे पास आते हैं और उनकी देह पर कपड़ा नहीं होता है तो कपड़ा हम दे तो देते हैं लेकिन हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि सबको दे सकें । कहां से दें ? जब हम देते हैं तो वे समझते हैं कि हम उन पर अहसान कर रहे हैं इस वास्ते वे लज्जा का अनुभव करते हैं । लेकिन हम समझते हैं कि हम अहसान नहीं कर रहे हैं बल्कि उनका जो अहसान है उसको उतारने की कोशिश कर रहे हैं ।

क्वांटम आफ अलाउन्स आप जो भी करें, मैं कुछ नहीं कहना चाहता । लेकिन हमें कोई काम ऐसा करना चाहिये ताकि हर पोलिटिकल सफरर को कुछ राहत मिल सके । जिनके पास धन हो जैसे श्याम नन्दन मिश्र जी है, उनको धन की कोई जरूरत नही है, हमें जरूरत नहीं—

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : यह कैसे कह सकते हैं कि हमें जरूरत नहीं है । आप तो...

श्री डी० एन० तिवारी : एक लाख रुपया लड़की की शादी में खर्च कर सकते हैं तो क्या आपको धन की जरूरत है ?

श्री श्यामनन्दन मिश्र : आपके पास बहुत है । मेरे पास क्या है जो मैं इतना खर्च करता ?

श्री डी० एन० तिवारी : जिन के पास धन हो, उनको आप न दें तो कोई चिन्ता वाली बात नहीं है । जो हैव्ज थे और हैव्ज हैं उनको धन की जरूरत नहीं है । लेकिन जो हैव नाट्स हैं उनका तो कुछ प्रबन्ध होना चाहिए । जो हैव्ज हैं वे व्यापार भी करते हैं, उनका अहसान मिनिस्टर भी मानते हैं, उन से वे भी डरते हैं और ये लोग उनसे काम भी निकलवा लेते हैं । लेकिन जो हैव नाट्स हैं और जो कोई इनफ्लुइन्स वील्ड नहीं करते हैं, जो जी हजूरी नहीं कर सकते हैं, जो वोट संग्रह नहीं कर सकते हैं, मैं समझता हूं कि उनको पहले रिहैबिलिटेट करने की बात होनी चाहिए । मैं यह नहीं कहता हूं कि जो दूसरे हैं उनको आप छोड़ दें । उनको भी जरूरत है । जिनकी जरूरत नहीं है,

उनकी तरफ हमें पहले ध्यान देना चाहिये, उनको हमें पहले रिहैबिलिटेट करना चाहिए। ऐसे लोग हम चुनें और उनकी मदद करें। आप में सामर्थ्य हो तो हमें और उनको, सबको आप दें। अगर सामर्थ्य नहीं है तो उनको आप पहले दें। कुछ पार्लिमेंट के मैम्बर पौलिटिकल सफरर हैं। अगर उनके जीवन यापन का प्रबन्ध होता तो वे पार्लिमेंट में नहीं आते, कंटैस्ट नहीं करते। यह सवाल उनके सामने है कि यदि यहां भी न रहे तो उनके खाने के भी लाले पड़ जायेंगे।

मैं प्राईम मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से, कैबिनेट मिनिस्टर्ज से अपील करता हूं कि इन लोगों को ऐसे न छोड़ दिया जाए निगलैक्ट न किया जाए, और अगर ऐसा किया गया तो आप जानते ही हैं

मुए ढोर की हाय से सार भस्म हो जाए। हम लोग खत्म हो जाएंगे इस वास्ते आपको जल्दी से जल्दी कोई स्टेप इस दिशा में लेना चाहिये।

15.27 hrs.

SHRI INDRAJIT GUPTA (Alipore) : Sir, first of all, I would like to congratulate Shri Shibban Lal Saksena for having brought forward this Bill on a subject which cuts across all party and political differences, I think. It is a matter, of course, which has been raised in verious forms in both House of Parliament on more than one occasion but still the necessity remains to agitate it over and over again because, as the speakers who preceded me have said, we are all very much dissatisfied still with the way Government is handling this problem and th: Government's attitude.

Sir, I consider it an auspicious thing, perhaps, that you happen to be in the Chair today when this subject is being debated. I am optimistic enough to hope that under your chairmanship the Government will take this measure with the seriousness which it deserves and change its attitude and respond much more openheartedly to what is the unanimous desire of all Members and indeed of the people of our country outside.

I do not wish to add very much to what Pandit Dwarka Nath Tiwary has said about the sufferings of hundreds of thousands of valiant fighters for freedom who are living lives of privation today anonymously—their names are not known to us even now—in different parts of the country. But whenever this subject comes up our minds turn again to the legendary heroes of the past whose names are known and have gone down in our history books, whether it be the Sikh prisoners of the Lahore conspiracy case during the First World War, whether it be the heroes of the Chittagong armoury raid, whether it be the comrades in arms of Bhagat Singh or many others. They are well known to all of us.

If I may, with all due respect to Pandit Tiwary, I would like to say that this is not a question of giving assistance by way of charity to some people because they are suffering today or are in privation or have not got enouth to get themselves two square meals a day.

SHRI D. N. TIWARY : I have never said that it is a question of charity.

SHRI INDRAJIT GUPTA : I do not want to put this question on the plane of that sort of assistance to the needy, assistance to the distressed and all that. I think, it is derogatory to our national self-respect to discuss this problem at all from that angle. It is not a question of that. It is a question of redeeming our debt to these people. It is a question of giving them some national honour, of letting the country know that these a-e the people who, when the need came for it, when the call came for it, sacrificed their everything for the sake of the mother land. It is not a question of helping somehow to rehabilitate themselves. It is a question of elevating them to the position of honour which they deserve. A grateful nation should treat these things not even as a pension. Mr. Saksena's Bill speaks of pension. I would say it should not be called even a pension. It should be some sort of a national honorarium which is awarded to these people for the services that they have rendered. I am afraid this is not the attitude that is

[Shri Indrajit Gupta]

being taken by the Government of India at all.

In a few minutes at my disposal, I wish to deal with one particular aspect of the question and that is regarding those prisoners who were sentenced by the British to what was known in those days as *Kala Pani Ki Saza*, the *Kala pani* which separated them from their mothe land, the *Kala Pani* which separated them from their near and dear ones because they were considered to be the most dangerous criminals in the eyes of the British Government. Those brave youngmen who wers sentenced to transportation for life or for other rigorous terms were locked up in the dark dungeons of the Cellular Jail in Andamans, that notorious jail of the Andamans. I know they do not exhaust the list of prisoners of freedom fighters of this country. There are many more than hundreds and thousands who suffered equal hardships in other prisons and were even deported outside India to other places. But I wish to focus your attention to this because of a particular problem which has been brought to my notice regarding these ex-Andaman prisoners. Perhaps, you know, Sir, that due to the persevering endeavours of an Association of long-term convicted and deported freedom fighters which is known as Ex-Andaman Political Prisoners Fraternity Association, they went on pleading with the Govetnment, making representattons to the Government, and at long last, in 1969, only two years ago, after 22 years of Independence, the Government took a certain decision. The decision is as follows—I am quoting from the Government Notification on the subject :

"The Government of India has sanctioned from 2nd October, 1969, a scheme for grant of pensions in deserving cases......

—kindly mark these words "in deserving cases"—

"...to those freedom fighters who had suffered imprisonment in the Andaman and Nicobar Island for a period of not less than 5 years and also to their families in case freedom fighters are no longer alive.

The Government has further decided that the scheme would be extended to all the freedom fighters who had suffered imprisonment in the Andamans irrespective of the period of their stay in the Cellular Jail provided the total period of their imprisonment is not less than 5 years."

If he has suffered imprisonment for 4 or 3 or 2 years, his name is to be struck off the roll of freedom fighters in the eyes of our Government.

This was the first position they took, a thoroughly buraucratic attitude. This is not an attitude worthy of leaders who claim to be sitting in the Government as inheritors of the legacy of those freedom fighters. It is an attitude of civilians, of bureaucratic officials and many such officials who had served the British Government and also remain to serve this Government after 15th August, 1947.

Then there, was further agitation, further pressure, by this Association of Ex-Andaman Prisoners and it was taken up in both the Houses. In the Rajya Sabha, on the 5th December, 1969, Mr. Bhupesh Gupta had said :

"I think, the Government should declare a general scheme of pensions for them. There should be no discrimination."

Why should financial and other things be brought in ? It is no good. Because the 'deserving' is defined to be that he must be a person who is really financially very badly off. 'Then we will help him'. So, the attitude is one of giving assistance, charitable aid to somebody who is badly off, not that, that he requirs recognition for the sacrifices he has undergone for the country. In reply to Mr. Bhupesh Gupta, Mr. Chavan who was then the Home Minister, had this to say in the Rajya Sabha :

"As far as financial conditions, etc. are concerned, whenever any financial scheme is sanctioned by Government, by way of abundant caution, they put in all these things. But, certainly, we will take into account the suggestion that has been made."

Then. Sir, if I may be given the liberty to quote, this matter was raised also in the same debate by Mr. Raj Narayan in that House. To him, Mr. Chavan replied as follows :

> "Government of India feel that here they have to treat a special class of people who had suffered when they were sent to transportation to the Andaman jail. Therefore, we tried to prepare a special scheme for this. I would say that it is not that I am trying to oblige them. It is nothing like that. It is the duty of a grateful nation towards the Freedom Fighters. It is in that spirit that this is being done."

This is what he stated on the floor of the House. Then, after some agitation, that restriction that was there that they must have served a minimum of five years in the Andamans, that was removed. That was the first victory, if you like to call it, of this agitation. But when they were thinking that now at least everybody would get whatever pension of Rs. 200 or that something will be given, then it was found that again the list was screened and it was said that certain people are deserving and certain other people are not deserving on the basis of financial considerations. If somebody in his middle age or after middle age, by his own efforts, has managed to earn a little livelihood for himself somewhere by setting up a small shop or by getting into some office or firm and as a result of which he earns Rs. 400 or Rs. 500 a month at the age of 55 or 57, that for the Government of India is a disqualification. He must be absolutely penniless, indigent, starved, in tatters. Then only, the Government of India will come forward to give him help. What is this? What kind of attitude is this? This is the attitude of a miser the attitude of a *bania*, towards people who gave their everything when it was required, for the country.

Then, Sir, it was found that this deserving clause has been applied and as a result of that, I am told now, that even now from the list of the Ex-Andaman prisoners which has been verified by the Government, some 15 or 16 people only have been left out on the ground that they are working somewhere, in some job. I have got a list here, a full list, and I find from the list that 16 people have been left out the youngest age is 54 and the oldest is 82. In any case, they are not going to live very long and even for saving money on these 15 or 16 people the Government refuses to pay them this pension. I am willing to concede that if any individual among them is so well-off that he does not need this Rs. 200, then you need not pay him anything. But, in any case, it should be offered to him not for the money, but, for the honour and if he does not require it, it should be his option to say, 'I don't require it. Thank you very much. I don't need it.'

But I don't know whether there are any such rich people among them. If there is a person earning Rs. 500 or so, that also when he has already reached the age of superannuation, they will not continue to earn after one or two years. Many of them will not live much longer.

The Bill here talks of a recurring expenditure. Of course it is a recurring expenditure. But, from year to year, it is going to dwindle, go down, because time is taking its toll. The number of people who are going to be eligible is continually going down.

SHRI D. N. TIWARY (Gopalganj) : It will vanish very soon.

SHRI INDRAJIT GUPTA : I might say here that a deputation of this ex-Andaman Political Prisoners Fraternity Circle met Mr. K. C. Pant a few months ago. Shri K. C. Pant assured them that he would see that the handful of remaining cases, numbering between 15 and 20, those that had been set aside on grounds financial, would be favourably dealt with. This was in July, last year. But up to date, nothing has been done about it. If I may remind you, Sir, on the 14th December, last year, K. N. Tiwary, himself an ex-Andaman freedom-fighter, now sitting in the Chair here, also spoke in this House and he said :

> "So far as Andaman prisoners are concerned, I can say, most of them have been sanctioned pension, but 14 cases

[Shri Indrajit Gupta]

> are of those who are financially better off and they have not yet been sanctioned".

The reply that Shri K. C. Pant gave to him was :

> "We shall consider those cases who are financially better later on; we are considering these cases."

So, all these assurances were given last year, but up till now, nothing has been done about it.

I would like to point out that the whole attitude of Government has been a parsimonious attitude; it is not a generous attitude at all; by 'generous' I do not mean in terms of funds, because that has nothing to do with generosity; it is a question of giving them their long-overdue honour which they require. If anybody is financially so well off that he does not require money, I think he will be a man of sufficient integrity to say so. It is a question of his honour. After all, Government are going to give them only about Rs. 200. So, what is the great thing involved in it ? It was because of the activity of some of these ex-Andaman prisoners that their cases had been brought to the notice of Government and something has been done, and up till now, pension has been given to about 250 people. But as my hon. friend Shri D. N. Tiwary has pointed out, in the history of the Andaman and Nicobar Islands, were there only 250 prisoners ? Certainly not; we all know it. Of course, many of them may no longer be living. But it is a big job to find out who those persons were, and to get the verified list from the records and from the archives of Government, unless the persons concerned themselves come forward, which many of them may not be in a position to do. But anyway, in regard to the cases which have been brought to the notice of Government at least, there is no dispute now and they were Andaman prisoners. So, why are those 15 or 16 people left out in this kind of commercial attitude towards them ? I hope that this attitude will change.

I do not wish take up more time. I fully support the views expressed by Shri D. N. Tiwary here that all freedom-fighters, irrespective of whether they were in the Andamans or in any other jail or not, and as my hon. friend Prof. S. L. Saksena has said in his Bill, even those who had been injured, those who had lost their belongings or whose family members had all been killed, must all be rewarded in the sense that they should be given proper recognition by way of honouring them for the services that they rendered to the country.

As far as this Bill is concerned, I support it wholheartedly. But I would plead with Government not to take exception to this Bill, on the ground that some clause or some provision is not suitable or something of that sort. The provisions of the Bill can be gone into and can certainly be studied more comprehensively and be suitably amended if necessary and can be modified. I would suggest that this can be done by sending this Bill to a Select Committee. But let Government accept the principle behind it. If they accept the principle, the whole House will co-operate with them in working out a suitable and practical course to implement this properly. But Government should not reject this Bill outright and they should not compel Prof. S. L. Saksena to withdraw it......

PROF. S. L. SAKSENA : I will not withdraw it.

SHRI INDRAJIT GUPTA : ...on pain of defeating it by vote. Nobody wants to go in for voting on a Bill like this, because if we do it will be a disgrace to us. I hope Prof. S. L. Saksena also will not withdraw it, and I hope that Government will have the good sense after so many years to accept the principle behind it and to agree to set up a small Select Committee which can take time and go into the details of the matter and frame a proper scheme which will give the long-overdue honour to these heroes of the past.

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) : सभापति जी, सक्सेना जी जो बिल लाए हैं इस बिल की जो स्पिरिट है उसका मैं समर्थन करता हूं और उसकी जो भावना है हर आदमी उसका समर्थन

करूंगा। मैं सरकार से कहूंगा कि सरकार खुद बखुद एक बिल इसकी भावना को दुरुस्त करके लाए। सरकार को खुद ही अपना एक बिल लाना चाहिए। ऐसा न समझा जाय कि सरकार नहीं चाहती और यह गैर-सरकारी लोग चाहते हैं। सरकार का यह कर्तव्य है कि खुद बखुद सरकार एक बिल लाए और जितने राजनैतिक पीड़ित हैं। 1857 से लेकर आज तक के जिनके घर लुट गये या मर गये, जिनके बालबच्चे तकलीफ में हैं, उनको सबको सरकार सहायता दे और यह न समझे कि कोई भीख दे रही है या दान दे रही है, बल्कि सरकार यह समझे जैसे इस देश के हर आदमी को खिलाने की, इस देश का प्रशासन चलाने की जवाबदेही सरकार की है, उसी तरह से इसकी जिम्मेदारी भी सरकार पर है। सरकार इस भावना को समझे और सरकार का यह कर्तव्य है। मैं तो चाहता था कि ऐसे मौके पर प्रधान मन्त्री को यहां रहना चाहिए। लेकिन प्रधानमन्त्री की जैसी परिस्थिति है उस परिस्थिति में प्रधानमन्त्री न भी रहे तो कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन इसमें कैबीनेट रैंक के मन्त्री या स्टेट रैंक के मन्त्री को अवश्य रहना चाहिए जो फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जो बिल आया है उसके ऊपर होने वाली चर्चा को सुनें।

तीन तरह के फ्रीडम फाइटर्स हैं। एक तो 1920 में जिन्होंने गांधी जी के हुक्म पर अपने स्कूल छोड़े कालेज छोड़े, अपनी जिन्दगी की कलियां बर्बाद करके जो इस क्षेत्र में आये। दूसरे वह आये जो वकील वगैरह थे। और तीसरे वे थे जो किसान थे या व्यापारी थे। इस तरह के लोग उसमें आये। इसके पहले 1857 और 1905 के बंग भंग आन्दोलन में जो लोग आये चाहे वह रिवोल्यूशनरी पार्टी के रहे हों, चाहे हिंसा में विश्वास रखने वाले रहे हों, चाहे अहिंसा में विश्वास रखने वाले रहे हों, वह लोग भी इसी में आते हैं।

आज मैं देखता हूं बड़े बड़े लोग इस सदन में खड़े होकर बोलते हैं। इधर के वकील और उधर के वकील खड़े होकर यहां वकालत करते हैं। लेकिन 1947 के 15 अगस्त तक वह चाहे इधर के वकील थे या उधर के वकील थे वह यह नहीं सोचते थे कि अंग्रेज यहां से जाएगा। उन्हें विश्वास नहीं होता था कि अंग्रेज चले जायेंगे। और जब चले गए अंग्रेज तो यह गिटपिट बोलने वाले वकील बैरिस्टर प्रोफेसर, डाक्टर न जाने कहां से चले आए। आज भी हमारा झगड़ा चल रहा है पाकिस्तान से, अगर लड़ाई होगी तो कोई यह वकील बैरिस्टर नहीं जायेंगे लड़ने के लिए, हमारी फौज के आदमी और जो उसके टेक्निशियंस हैं वही सब जायेंगे। आज हालत ऐसी है जो फ्रीडम फाइट में गये, कोई फ्रीडम फाइटर आज किसी मिनिस्टर या गवर्नर या राष्ट्रपति से मिलने के लिए जाय तो उसको मिलने की सहूलियत नहीं मिलेगी। उनके सेक्रेट्री कौन हैं? हम फ्रीडम फाइटर्स हैं, हम किसी मिनिस्टर से मिलने के लिये जाएं तो जल्दी नहीं मिलने दिया जायेगा। पूछा जायेगा कि क्या काम है, क्यों मिलना है? लेकिन उन का एक किरानी, उनका एक पी. ए. जिसने देश को धोखा दिया, वही आज वहां सर्विस में बैठा हुआ है, उसकी चलती है। मैंने इस सदन में ऐसे लोगों को देखा कि जिनके परिवार के लोग चाहे 1857 के गदर में, 1905 में, 1920, 1921 1930, 1932, 1933 या 1942 के आन्दोलन में या इंडिविजुअल सत्याग्रह में साथ दिये थे, उनके खिलाफ जिन्होंने काम किया है, उनको कांग्रेस टिकट देती है। आज जो कांग्रेस कमेटियों में और दूसरी जगहों में ऐसे ऐसे आदमी हैं कि कोई फ्रीडम फाइटर जाता है रेकमेंड कराने के लिए कि हमें पोलिटिकल सफरर का सार्टिफिकेट दिया जाय तो उसे पता ही नहीं है कि यह जेल गया है या नहीं क्योंकि वह खुद ही जेल नहीं गया है। ऐसे ऐसे लोग मिनिस्टर बन जाते हैं जिन्होंने गांधी जी का चेहरा भी नहीं देखा... (व्यवधान)......

श्री शिव चंडिका (बांका) : इसका पोलिटिकल सफरर से क्या मतलब है?

श्री विभूति मिश्र : बहुत बड़ा मतलब है। आपकी समझ में नहीं आयेगा।

[श्री विभूति मिश्र]

सभापति जी, यह तो हमारी सरकार का व्यवहार है उनके साथ जिस सरकार में मैं खुद हूं जिस सरकार के ऊपर जिम्मेदारी हैं इनका समर्थन करने की। हमारी सरकार में दिल्ली से लेकर गांव तक जितने ओहदे पर बैठे हुए लोग हैं चाहे एलेक्टेड हों या एलेक्टेड न हों, कम लोग उसमें ऐसे हैं जो फ्रीडम फाइटर्स की बात को सुनते हैं, जो उनकी कुछ इज्जत करते हैं, वरना कोई उनकी इज्जत नहीं करता। जो यह आई० सी० एस० लोग हैं इधर भी शायद हो सकते हैं जो अंग्रेजों को हिन्दुस्तान में रखने की कोशिश कर रहे थे वह आज हमारे बड़े बड़े मिनिस्टर के सेक्रेटरी और प्राइवेट सेक्रेटरी हैं। हमारे जाने पर मिनिस्टर के यहां हमारी वह इज्जत नहीं होती हैं लेकिन इनकी इज्जत होती है। क्या यह दुःख की बात नहीं है ? मैं नहीं कहता हूं कि आप सभी पोलिटिकल सफरर्स को पैसा दीजिए या मदद कीजिए। लेकिन कम से कम इज्जत तो बख्शीश कीजिए। मगर इज्जत भी नहीं बख्शी जाती है।

सभापति जी, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि एक फौजी आदमी था, जो बेनगाज़ी की लड़ाई में गया था, जब हमारे यहां अंग्रेजों का राज्य था। अंग्रेज ऐसे आदमी की कितनी इज्जत करते थे—जब हमारे यहां मिट्टी का तेल और दूसरी चीजों की कमी होती थी और वह आदमी वर्दी पहन कर अगर कलक्टर डिप्टी कमिश्नर के पास जाता था, तो वह अंग्रेज अफसर उसकी सलामी लेता था और पूछता था कि अच्छे तो हो। मिट्टी का तेल या जो भी उसको चाहिये था, वह देता था। उसकी लड़ाई में एक आंख निकल गई थी। लेकिन आज हमारे यहां क्या हालत है ? अगर कोई मिनिस्टर के पास जाय—कोई पोलिटिकल सफरर उनके पास जाय तो समझते हैं कि हमारे ऊपर भार आ गया है, कहीं 10 रुपये चन्दा न मांग ले।

चेयरमैन साहब, मेरा और आपका क्षेत्र सटा हुआ है, हम अपने क्षेत्र में जाते है तो कितने हमारे पोलिटिकल सफरर्स भीख मांगते देखे जाते हैं, कहते हैं, कि शाम का खाना दो, सुबह का खाना दो, कपड़ा दो, कम्बल दो।

अभी एक बिहार के मिनिस्टर से मैंने कहा कि हमारे यहां के कुछ पोलिटिकल सफरर तकलीफ में है, इनके लिए कुछ पैसे का इन्तजाम करना चाहिए। कहने लगे कि देखा जायेगा। लेकिन खुद मिनिस्टर साहब 1500 रुपया महीना तनख्वाह पाते हैं, फ्री-फर्निश्ड बंगला है, हवा गाडी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पोलिटिकल सफरर को भाई नहीं समझते हैं। एक वह दिन था जब हम आजादी की लड़ाई लड़ते थे तो पोआल पर सोते थे, जमीन पर सोते थे, खाना मिल गया तो खा लिया, नही मिला तो न सही, लेकिन सब एक साथ रहते थे, आज उनमें से मिनिस्टर भी हैं, मेम्बर भी हैं, नेता भी हैं, लेकिन आज इस तरह का भेदभाव हो रहा है। तिवारी जी ने कहा था कि "मूए खाल की हाय से सार भस्म हो जाय" मैं भी यही कहना हूं कि पोलिटिकल सफरर्स का श्राप जरूर पड़ेगा, बगैर पड़े नहीं रह सकता है।

मैं आप से यही कहना चाहता हूं कि इस बिल का जो भाव है, इसकी जो मंशा है, इसकी जो स्प्रिट है, उसको समझ कर अपना बिल लाइये। श्री शिब्बन लाल जी सक्सेना के बिल को पढ़ने से इसमें कुछ कमी मालूम होती है, लेकिन सरकार को इसका पूरा समर्थन करना चाहिये। आज जो लोग फौज से रिटायर होते हैं आप उनको पेंशन देते हैं, जो सरकारी नौकरी करते हैं उनको पेंशन देते हैं, लेकिन इनको क्या देते हैं ? दो तरह की मदद दी जाती है—एक तो स्टेट लेवल पर दी जाती है, लेकिन बहुत कम लोगों को मिलती है और उसमें भी उनको घूस देनी पड़ती है रुपये लेने में। वह आदमी जब पैसा लेने जाता है, तो कचहरी में घूस देनी पड़ती हैं। इसके अलावा केन्द्र में गृह मंत्रालय से कुछ पैसा मिलता है, वह पैसा भी वहां चैक से भेजा जाता है, जिसको प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इसीलिए मैं कहूंगा कि अब तो इन लोगों की संख्या बहुत कम है, जैसे आई०

सी०एस० कम होते चले आ जा रहे हैं, उसी तरह से पोलिटिकल सफरर्स की संख्या भी कम होती जा रही है 1942 में जितनी संख्या थी, आज उतनी नहीं है और इनमें भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो सरकार से पैसा नहीं लेबे लेकिन बहुत के ऐसे हैं जिनकी हालत दयनीय है, जिनके पास खाने को नहीं है, घर नहीं है, कपड़ा नहीं है, जिनके बाल-बच्चे पढ़े नहीं हैं, वे बेचारे क्या करें। जेल गये, मार खाई, उनको अपने बच्चों पढ़ाने का कहां अवसर मिला। लेकिन इनमें जो लोग मिनिस्टर हैं, बहुत से ऐसे मिनिस्टर हैं जो कभी जेल नहीं गये, जिनके लड़के आज भी सैंट एक्जेविअर में पढ़ कर आते हैं, उनका इन पोलिटिकल सफरर्स के लड़कों से कैसे मुकाबला हो सकता हैं, वे बेचारे तो वरनाकुलर स्कूल में भी नहीं पढ़ सके। मैं कहना चाहता हूं कि इन गिटपिट बोलने वालों से हिन्दुस्तान की आजादी नहीं आई।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं—अगर अंग्रेजी-दां न होते तो हिन्दुस्तान का पार्टीशन न हुआ होता, एक दो दफा हमें अंग्रेजों से और लड़ना पड़ता। हमारे एक फ्रीडम फाइटर थे—श्री प्यारे लाल आप इसके बारे में 'लास्टफेज' जरा पढ़िये—उन्होंने लिखा है कि हमारे नेता लोग आगे तकलीफ उठाने के लिए तैयार नहीं थे, इस लिये उन्होंने अंग्रेजों के साथ समझौता कर लिया। हम लोगों ने समझौता नहीं किया। कल यहां चर्चा चल रही थी कि सरकार का राजाओं के बारे में कमिटमेंट है—मैं पूछना चाहता हूं—उस समय की जो ए० आई० सी० सी० थी, उसमें जो नेता थे, जिन्होंने अंग्रेजो के साथ समझौता किया, इन लोगों ने इन के साथ कमिटमेंट किया, लेकिन जब लड़ाई की बात होती थी, चाहे 1930, 1932 या 1942 का मूवमेंट हो, जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी से लेकर ऊपर तक, जो रेजोल्यूशन ए०आई०सी० सी० पास करती थी, उसी रेजोल्यूशन को रेटिफाई करते थे और सब उसके अनुसार फ्रीडम फाइट में आते थे, लेकिन इसमें हम से नहीं पूछा गया। इसलिये इसको इन लोगों ने कुबूल किया, हम लोगों ने कहाँ कुबूल किया कि राजा-रानियों को पेंशन दी जाय। जिन लोगो ने उस वक्त हमको धोखा दिया, जेल भिजवाया, हिन्दुस्तान के साथ गद्दारी की, उनको सरकार में रखा गया। क्या कभी इस सरकार ने इसके बारे में पूछा? कभी नहीं पूछा। इसलिए नहीं पूछा कि सरकार हमारी पार्टी के जो नेता थे, वे अंग्रेज को तो हटाना चाहते थे, लेकिन सरकार की क्या पिक्चर होगी उसको सामने लाना नहीं चाहते थे। गांधी जी उस समय बूढ़े हो चुके थे, उनमें शक्ति नहीं थी, बूढ़े आदमी में लड़ने की शक्ति नहीं होती है और इसमें भी जो नौजवान थे, वे भी आ गये थे, क्रांति करने के लिए तैयार नहीं थे, नतीजा यह हुआ कि हमारे नेताओं ने अंग्रेजों से समझौता किया और राज-काज में चले गये, फ्रीडम फाइटर्स की कोई खबर नहीं ली। यहां से जो भी थोड़ा सा रुपया स्टेट में जाता है, वह भी उनको नहीं मिल पाता है, कौन इसको देखने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कितने ऐसे आदमी हैं जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं, ये हमारी कीमत को क्या जानेंगे।

सभापति महोदय, हमको तकलीफ अब होती है जब सोने को रत्ती के साथ तोला जाता है। आप सोने को आग में डालते हैं, पानी में डालते हैं, उसको हथौड़ी से पीटते है, तब सोने में चमक आती है, लेकिन वह सोना रोता है जब उसको रत्ती के साथ तोलते हैं। हमारे फ्रीडम फाइटर्स की हालत भी यही है कि हमको रत्ती के साथ तोलते हैं।

मैं आपको एक और घटना सुनाता हूं—1933 में जब हम दिल्ली जेल में गये तो हमको 20 या 21 दिन जेल में रखा गया, जहाँ पर अब मौलाना आजाद मैडिकल कालिज है। जेल से छूटने के बाद हम दिल्ली के एक बड़े नेता के यहां गये, हम लोगों का कपड़ा-लत्ता सब ले लिया गया था, पैसा-रुपया सब ले लिया गया था, बेतों से हम लोगों को मारा गया था, हाथ पैर सब टूट गये थे, जब हम उस नेता के यहां गये तो उस नेता ने हम लोगों को इस तरह से

[श्री विभूति मिश्र]

दुत्कारा, जिस तरह से किसी कुत्ते को भी नहीं दुत्कारा जाता। हम बड़ी मुसीबत में थे, उस वक्त एक ए० आई० सी० सी० के आदमी ने हमारी थोड़ी मदद की और हमको कानपुर तक का टिकट कटवा दिया। कानपुर में हमारे एक साथी थे—अब तो वह मर गये—उन्होंने हमें पैसा दिया, तब हम चम्पारन गये। वह नेता बाद में आपके राजदूत बने और मिनिस्टर बने। यह थी हमारी सरकार के नेता लोगों की हालत।

कहते हैं कि आप लोग नहीं बोलिये। क्यों नहीं बोलें ? मैं अपने उन साथियों के लिए, जो हमारे साथ जेल गये, कन्धा से कन्धा मिलाकर आजादी की लड़ाई में साथ दिया, आज भीख मांगते हैं, उनके लिए क्यों न बोलूं। मैं तो मेम्बर पार्लियामेंट बन गया, क्योंकि काशी विद्यापीठ का शास्त्री हो गया था. टिकट मिला और चुनाव में जीत कर आ गया, विरोधी लोगों के विरोध के बावजूद जीत कर आया, मेरी हालत तो कुछ ठीक है, लेकिन जिन हमारे साथियों को एम० एल० ए० का टिकट नहीं मिला, एम० एल० सी० का टिकट नहीं मिला, राज्य सभा का टिकट नहीं मिला, लोकसभा का टिकट नहीं मिला, किसी पोस्ट पर नहीं हैं, उनकी हालत बहुत ही दयनीय है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, खोज-खबर करने वाला नहीं है।

एक बात यह भी देखिये—जो हमारे मिनिस्टर जाते हैं, इनका पहला कर्तव्य होना चाहिए था कि जब जिला कांग्रेस कमेटी में जांय, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जांय, ए० आइ० सी० सी० में जांय, तो पूछें कि कौन कौन फ्रीडम फाइटर हैं। लेकिन कभी उनका नाम नहीं लेते हैं। नाम किस का आना है जो आगे पीछे घूमने वाले होते हैं, एप्रोच वाले होते हैं, उनके पीछे होते हैं। मैं अखबार वालों से कहूंगा कि भाई, मेरी भावना को आप ठीक से लिखें। मुझे किसी का डर नहीं है, मुझे टिकट मिले या न मिले। मैं अपने जीवन के अन्तकाल में कब भी मुझे टिकट मिला जीत कर आया, लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं कि जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर भाई हैं वह बड़े कष्ट में हैं। सभापति महोदय इस बात को खूब जानते हैं। वह दयालु आदमी हैं, उनको पैसे देते हैं। लेकिन उनको भी पता है कि हमारे आजादी के सिपाही आज दर दर मारे मारे फिरते हैं, उनके बच्चों और घर वालों को आज कोई पूछने वाला नहीं है।

16 hrs.

मैं इस सरकार को क्या कहूं ? आज उसने एक डिप्टी मिनिस्टर को इस काम तो देखने के लिये लगा दिया है। जरूरत यह थी कि यहां पर प्रधान मन्त्री रहतीं, और अगर प्रधान मन्त्री नहीं रह सकती थीं तो कोई कैबिनेट स्तर का मिनिस्टर होता। जब भी प्रधान मन्त्री का भाषण होता है तब वह अपने पिता का उदाहरण देती हैं, उनका नाम लेती हैं, लेकिन उनके पिता के साथ जिन हमारे लोगों ने फ्रीडम फाइट में हिस्सा लिया उन का नाम भी नहीं लिया जाता। यहां पर एक कैबिनेट मिनिस्टर होना चाहिये था जो इस बहस का जवाब देता और फ्रीडम फाइटर्स के लिये कुछ करता।

मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हमारे जिले में कुछ लोग हैं जो जब कांग्रेस कमेटी बनती थी तो उसके सभापति और मन्त्री बन जाते थे, लेकिन जब जेल जाने की बात होती तब भाग जाते थे। आज भी अगर कोई ऐसी बात हो तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि यहां के लोगों में से बहुत से भाग जायेंगे। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, चाहे यहां हों या वहां हों। आज तो खुशी का दिन है, जेल जाने की बात नहीं है, कोई त्याग या तपस्या करने की बात नहीं है। मैं तो सरकार से कहना चाहता हूं कि वह श्री सक्सेना के बिल के स्थान पर अपनी तरफ से कोई बिल ले आये। श्री सक्सेना के बिल की जो भाषा है वह सुन्दर नहीं है, सरकार सुन्दर भाषा में बिल लावे और जो पोलिटिकल

सफरर हैं 1857 से लेकर आज तक, चाहे वह हिंसा वाले हों या अहिंसा वाले हों, उन्हें सरकार पूरी सहायता दे।

यहां पर सार्टिफिकेट की बात कही जाती है। मैं तो कहता हूं कि जिनको सहायता की जरूरत हो उनको वह सहायता दे, वह सार्टिफिकेट लेकर क्या करेंगे ? सार्टिफिकेट को कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब यहां पर पोलिटिकल सफरर्स के ऊपर विचार हो रहा है तब यहां उनकी सहायता के लिए सरकार समुचित कदम उठाये।

SHRI BIREN DUTTA (Tripura West) : I heard the speeches made here surcharged with emotion on behalf of those who fought for the emancipation of the country. But I would like to bring to the Notice of the House that at the call of the Congress, people from all other parties participated in our freedom movement and some of them died instantaneously on the streets and in the fields and factories. We must not forget their cases as well. In the speeches made here more often attention has been drawn to those people who have undergone suffering by way of imprisonment. I would like to draw the attention of the Mover of the Bill to the fact that he must include such person also in the Bill.

PROF.S.L. SAKSENA : They are included.

SHRI BIREN DUTTA : There are some people who have died in satyagraha movement, in police lathi charges or in the civil disobedience movement. There are revolutionaries who were termed as terrorists, who were pursued by the Britishers in the villages where they took shelter and so many families have been destroyed by the Britishers then. About all these, there are records in the State Governments' archives. But in today's discussion, no reference has been made to such people. I hope while accepting the Bill, Government will include these people also. Otherwise, many Indian patriots, workers, peasants and other sections of the community who participated in the liberation struggle and who are the real fighters who have won this independence for us would be left out and only a few people who may be called leaders will be included.

While supporting this Bill, I would like to draw the attention of the mover and the Government to the fact that some specific steps should be taken to reserve some quota in the medical colleges and other training centres for the children of political sufferers, just as there are quotas for scheduled castes, etc. Their number may not be many because only a few of them will be remaining now. With these words, I do hope that the Government will unhesitatingly accept this Bill and bring it into a form which will be acceptable to us all.

श्रीमती सहोदराबाई राय (सागर) : सभापति महोदय, हम को भी मौका मिलना चाहिए।

सभापति महोदय : असल बात यह है कि 5 बजे हम को ऐडजर्न करना है...

श्रीमती सहोदराबाई राय : लेकिन हम को तो मौका मिलना ही चाहिए।

सभापति महोदय : 5 बजे फंक्शन है यह अनाउंसमेंट हो चुका है। मेरे पास 21 आदमियों की लिस्ट है और उसमें से सिर्फ पांच या सात आदमी बोले हैं।

एक माननीय सदस्य : टाइम कम कम दिया जाये।

सभापति महोदय : टाइम तो हम तब कंट्रोल करे जब आप करने दें।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : मैं आप से यह अर्ज करना चाहता हूं कि मुझ को मौका मिलना चाहिए अपने बिल को पेश करने का।

सभापति महोदय : जब तक यह बिल चलता रहेगा तब तक दूसरा बिल मूव नहीं हो सकता।

श्री पी० के० देव : यह बलट में आ चुका है।

सभापति महोदय : बैलट में आने के बाद भी जब तक पहला बिल चल रहा है, दूसरा बिल नहीं आ सकता।

श्री एस० ए० काबर (बम्बई-मध्य-दक्षिण) : अर्ज यह है कि यह बहुत महत्व का सवाल है और इस सवाल पर हमारे बहुत से मेम्बर अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं। आपके जरिये व्हिप साहब और जो कमेटी है उन से मेरी गुजारिश है कि इस को आप पांच बजे तक चलाइये और उसके बाद अगर वह खत्म नहीं होता है तो इसको पोस्टपोन करिये ताकि दूसरों को अगली बार बोलने का मौका मिल सके।

सभापति महोदय : मैं आप से आग्रह करता हूं कि यह बहुत इम्पार्टेंट बिल है और इस पर सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन उस वक्त जो प्रिजाइडिंग अफसर रहेगा वही समय बढ़ा सकेगा। टाइम बढ़े, इसकी फेवर में मैं भी हूं। कितना बढ़ना चाहिए ताकि सबको कमोडेट किया जा सके, यह जो प्रिजाइडिंग अफसर रहेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी में स्पीकर साहब को कनवे कर दूंगा कि समय बढ़ना चाहिये।

श्री एस० ए० काबर : पांच बजे तक यह चले। इस बीच अगर सब न बोल सकें तो यह डिबेट इनकनक्लयूसिव रहे।

सभापति महोदय : मतलब यही है कि आज पांच बजे यह खत्म नहीं होगी तो इनकनक्लयूसिव रह जाएगी और इसको दूसरे दिन टेक अप किया जाएगा।

श्री झारखंडे राय (घोसी) : कृपा करके दस मिनट से थोड़ा अधिक समय दें ताकि पूरे तौर पर सभी अपने विचार प्रकट कर सकें।

सभापति महोदय : हम तो यह चाहते हैं कि पांच मिनट में भाषण समाप्त किया जाए।

श्री झारखंडे राय : नहीं, दस मिनट।

SHRI P. K. DEO : The same argument is being repeated again and again. I may be permitted only one minute to introduce my Bill.

MR. CHAIRMAN : I am helpless. I cannot allow it because when one Bill is going on, the other cannot be permitted. Shri Pampan Gowda

AN HON. MEMBER : Please come to the front.

SHRI PAMPAN GOWDA (Raichur) : No, I would speak from my place because it is the duty of the Government to arrange that from every seat the speaker should be heard. I do not want to move from my place.

*Mr. Chairman Sir, I welcome the Freedom Fighters (Appreciation of Services) Bill, 1971 brought forward by Shri Shibban Lai Saksena. Several members have already expressed their favourable views on the provison of the Bill, I fully share their views. It is the duty of the Government to honour the freedom fighters. Had it not been for their sacrifice, privations and hardships, the achievement of independence would have very difficult. It is on account of their sacrifice that we have been able to enter this Parliament. The country should, therefore, be grateful for what all they have done·

Lakhs of people had participated in the freedom struggle. It is difficult to maintain an accurate data of all of them. Government should do everything possible to compile the list of freedom fighters, and honour them by giving adequate financial assistance and other facilities. I understand that the Government is already paying pension to about 500 freedom fighters. Evidently this is too small a figure when lakhs of people had taken part in the freedom struggle. Whatever might be the number, the important issue is payment of substantial assistance to all of them.

*The original speech was delivered in Kannada.

I understand that the children of the freedom fighters are entitled to get scholarships for education in the country. A sizeable amount is being paid annually. Unfortunately some of the brilliant children of the freedom fighters are not given scholarships for their higher education abroad. I hope the government will look into this and see that rules are amended to provide benefits for higher education abroad.

SHRI S. A. KADER (Bombay—Central—South) : Mr. Chairman, Sir, as an old freedom fighter from the year 1930, I have had an opportunity to serve my country and, before me; there were lakhs of people from all over India who had gone and sacrificed their everything for the cause of the country.

It was not our cause that we were going to see Independence ourselves. In jails, we were thinking every time as to when next we will come. And we have achieved our Independence during our life-time. But I am very sorry to say that the greatest injustice on the face of this earth, if it has been done to anybody or any person, is in regard to those freedom fighters who have been responsible for bringing freedom to our country. There is an Urdu couplet which is very apt here :

इयामे गरदिशे इनक्लाब को देखिये
मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफर न थे ।

In our country, after Independence, what should have been taken care of has not been done. The freedom fighters were either treated as if they had performed their duty and there was no duty of the State, no duty of those who assumed governmental control, to see that something should be done for them.

After sometime, it was thought that something should be done. And what is being done ? The Government has said that all freedom fighters may be given a *praman patra*. Who is going to sign it ? A Collector of the District. Now, a freedom fighter who fought with these people is to be certified by those very people that he was a freedom fighter. When there was a protest raised against it, it was said that the Chief Minister will sign it. In many of the States, there are Chief Ministers who have never seen what freedom is or what fighting is. It is all due to the leadership which has fallen prey to bringing such persons who had never been in the freedom fighting.

In the socialist countries and other countries, we see that all those Nazi elements and Fascists elements have not anly been ruthlessly exterminated but they have not been allowed any position or post. In our country, all those who fought against the freedom, all those who opposed national movement, are on the top posts. They are Governors; they are Ambassadors: they are officers and many of them are Ministers also.

AN. HON. MEMBER : Shame !

SHRI S. A. KADER : It is not a question of shame. It is all due to you and me that all these things have happened. If you were alive to the question, these things would not have happened.

Now, my hon. friend, Shri Saksena has brought forward a Bill saying that something should be done even at this late hour to see that those freedom fighters who need help should be rehabilitated. Many of us have gone; many of us are on the way and how many will remain is a question. Those freedom fighters who gave their everything without expecting anything in return are today economically hard put to, their families are hard put to—I would even improve upon it their children are hard put to—and some thing should be done about it.

When you are going to do something about it, please do not make a laughing-stock of the freedom fighters and do not give them Rs. 50 as it is done in some States. Please give them sufficient amount. First you see that they are genuine freedom fighters and, if they are approved, you meet all their needs, of their families and even their children's education. They should get an opportunity of getting the highest education.

If the Government is prepared to come with a comprehensive Bill creating a machi-

[Shri S.A. Kedar]

nery by which all these freedom fighters will be under the Central Government's control, if the Government is prepared to do that and give an assurance on this account, I would request Shri Saksena to withdraw his Bill.

I would also endore the views expressed by Mr. Bibhuti Mishra that this is a very important Bill and this is a Bill which deals with the Freedom Fighters of our Independence Movement and it should be in the fitness of things that the Prime Minister should have been here to listen to what we say. Of course, reports go to her and she will see them. But it is better if she comes and gives this categorical assurance to this House that 'We have committed a mistake. From now on, we shall do whatever we can for these Freedom Fighters. Even the family of Freedom Fighters which are in need of national help will be taken care of. We are not giving ex-gratia. It is their right and their demand and their just demand. We have so far neglected that duty. Let us fulfil our duty even at this late hour.'

सभापति महोदय : श्री बड़े ।

श्रीमती सहोदराबाई राय : सभापति महोदय, आप अन्य सदस्यों को बुला रहे हैं, लेकिन आप मुझे बोलने का अवसर नहीं दे रहे हैं ।

सभापति महोदय : आप तो बहुत पुरानी मेम्बर हैं । आप जानती हैं कि सब सदस्यों को बारी बारी बुलाया जाता है । अगर मैं आप को भी आप की बारी से बुलाऊं, तो आपको मौका ही नहीं मिलेगा । आप इत्मीनान रखिए । आपको भी बुलाया जायेगा । आप तो सब समझती हैं । अगर आप भी ऐसा करेंगी, तो कैसे काम चलेगा ?

श्रीमती सहोदराबाई राय : इसीलिए तो आप मुझे मौका नहीं देते ।

सभापति महोदय : श्री बड़े ।

श्री आर० वी० बड़े (खरगोन) : सभापति महोदय, मैं श्री शिब्बनलाल सक्सेना को यह विधेयक लाने के लिए बधाई देता हूं । इस के द्वारा उन्होंने एक बहुत महत्व का विषय सदन के सामने रखा है ।

स्वतन्त्रता के तेईस साल बाद एक प्राईवेट मेम्बर को इस आशय का बिल लाना पड़ा है कि जिन लोगों ने देश की स्वतन्त्रता के लिए सब तरह का त्याग किया, अपना बलिदान दिया, जो फांसी के तख्ते पर लटक गये, शासन को उन्हें, या उनके कुटुम्बियों को, कुछ पेन्शन देनी चाहिए । मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती है । शासन को स्वयं इस प्रकार का बिल लाना चाहिए था । शासन की तरफ से पिछले तेईस साल से प्रामिसिज दिये जाते रहे हैं, लेकिन इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है ।

मेरे मित्र, श्री भारत सिंह चौहान, एक राजनैतिक पीड़ित हैं । उन्होंने काफी समय तक प्रयत्न किया, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी । उन्होंने मुझे कहा कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो लोग डरपोक बन कर लड़ाई से भाग आते हैं, वे राजा बन जाते हैं और जो लड़ाई में मारे जाते हैं, वे शहीद कहलाते हैं । जैसा कि कई वक्ताओं ने कहा है, स्वतन्त्रता संग्राम में जिन लोगों ने हमको आपोज किया था, वे बड़े बड़े अफसर बन गये हैं ।

जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है, यह बड़ा इनकाम्पलीट है और इसमें बहुत एमेंडमेंट्स की गुंजायश है । लेकिन इसके पीछे जो भावना है, वह बहुत महत्वपूर्ण है । चन्द्रशेखर आजाद मध्य प्रदेश के रहने वाले थे । उनकी माता की स्थिति बहुत खराब थी और वह एक झोंपड़ी में रहती थीं । जब मध्य प्रदेश शासन को इस बारे में बहुत कहा गया, तो उसने दया करके थोड़ी सी पेन्शन दे दी । लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें दया की बात नहीं है । जिन लोगों ने इस देश की स्वतन्त्रता के लिए

त्याग किया है जिन के बलिदानों के कारण आज हम लोग इस पार्लियामेंट में बैठे हैं और आज यहां पर प्रजातन्त्र फलफूल रहा है, उनके कुटुम्बियों की अवश्य सहायता की जानी चाहिए-लेकिन एक चैरिटी के तौर पर नहीं, बल्कि उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए। आज यह हमारा धार्मिक और राजनैतिक कर्त्तव्य है कि हम उन लोगों को कुछ पेन्शन देने की व्यवस्था करें।

आज राज्यों में यह व्यवस्था है कि उन लोगों को कलेक्टर से अपने पोलिटिकल सफरर होने का सर्टिफिकेट लाने के लिए कहा जाता है। कलेक्टर साहब कहते हैं कि पुलिस का रिकार्ड लाओ। पुलिस उनको कहती है कि तुम तो केवल आठ रोज जेल में रहे, इसलिए तुम पोलीटिकल सफरर नहीं हो। अब सवाल यह है कि वे बेचारे पुलिस का ऐरेस्ट वारंट और दूसरे कागजात कहां से लायें। इस तरह विभिन्न दफ्तरों और अफसरों के यहां चक्कर काटते काटते वे थक जाते हैं। अगर वे मुख्य मंत्री से मिलते हैं, तो उन को कहा जाता है कि हम आपको पोलीटिकल सफरर मानते हैं, लेकिन आपके पास कलेक्टर का सर्टिफिकेट नहीं है और उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर कोई जमीन मांगने के लिए जाता है, तो उसको कहा जाता है कि तुम बताओ कि तुम कौनसी जमीन चाहते हो, फिर हम देखेंगे कि वह जमीन दी जा सकती है या नहीं। इन सब बातों से आदमी परेशान हो जाता है, लेकिन फिर भी उसको कोई सहायता नहीं दी जाती है।

यह भी देखा जाता है कि इन लोगों के बच्चों को मेडिकल कालेजों में एडमिशन नहीं मिलता है। जिस तरह हरिजनों और आदिवासियों के लिए मेडिकल कालेजों में कुछ सिट्स रिजर्व की गई हैं, उसी तरह पोलीटिकल सफरर्ज के बच्चों को भी एडमिशन देने की विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए।

इस बिल में कहा गया है कि सैंट्रल गवर्नमेंट हर एक पोलीटिकल सफरर या उस की फैमिली को उसकी सर्विसिज के लिए एक सर्टिफिकेट आफ एप्रिसिएशन दे। मैं कहना चाहता हूं कि उन लोगों ने देश की आजादी के लिए जो त्याग और बलिदान किया है, सरकार और राष्ट्र को उसके लिए उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के रूप में ठोस कदम उठाना चाहिए। अभी श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है कि लगभग पन्द्रह बीस स्वतन्त्रता सेनानियों को अभी तक किसी सहायता के लिए कनसिडर नहीं किया गया है।

मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य को यह बिल वापिस नहीं लेना चाहिए और अगर वह इस को वापिस लेते हैं, तो सरकार को इसी सैशन में, पन्द्रह बीस दिन के अन्दर, इस बारे में एक काम्प्रिहेंसिव बिल सदन के सामने लाना चाहिए। अगर सरकार यह आश्वासन दे, तो यह बिल वापिस लेने में कोई हर्ज नहीं है। इस बिल के यहां आने से पूरे जगत और पूरे देश को यह पता लग गया है कि हमने अभी तक अपने स्वतन्त्रता सेनानियों की उपेक्षा की है और उनकी दशा को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया है।

मैं इस बिल का पूरा समर्थन करता हूं।

श्रीमती सहोदराबाई राय (सागर) : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि बड़ी मुश्किल से आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। माननीय सदस्य, श्री सक्सेना, का बिल अच्छा है। अगर हम लोग ऐसा बिल रखते, तो शायद कोई सुनवाई न होती, क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी में हैं। सरकार विरोधी सदस्यों की बात मनती है। लेकिन मुझे श्री सक्सेना से कोई द्वेष नहीं है। चूंकि उनके बिल में कुछ खामियां रह गई हैं और उसमें कुछ संशोधन करने आवश्यक हैं, इसलिए वह उसको वापिस ले लें और उसके बाद सबके साथ सलाह-मश्वरा करके एक पूर्ण बिल लाया जाना चाहिए।

मैं 1942 से राजनैतिक क्षेत्र में काम कर

[श्रीमती सहोदराबाई राय]

रही हूं। मैं 1942 में स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान जेल में गई थी और 1955 में गोआ सत्याग्रह में भी जेल में गई थी। नार्थ ऐवेन्यू के मेरे बंगले में सारे भारतवर्ष से लोग आते हैं और कहते हैं कि स्वतन्त्रता संग्राम में हमारे घर-बार लुट गये, हमारी जायदाद छिन गई, लेकिन अब कोई हमारी बात नहीं सुनता है। अगर कोई पोलीटिकल सफरर किसी मिनिस्टर को मिलने के लिए जाता है, तो कहा जाता है कि मिनिस्टर साहब बाथ रूम में हैं, या खाना खा रहे हैं, या कहा जाता है कि वह मीटिंग में हैं, उनको फुरसत नहीं है। पोलीटिकल सफरर से ठीक व्यवहार नहीं किया जाता है। न उस को खाने को पूछा जाता है, न पीने को। मैं पिछली बार चुनाव में हार गई थी। जब मैं सदस्य थी, तो मेरे पास वहां सैकड़ों आदमी आ कर ठहरते थे। लेकिन किसी मिनिस्टर ने या एम०पी० ने कभी यह नहीं कहा कि हमारे यहां ठहर जाओ। कहां ठहरने को कहा कि स्टेशन पर। एक दिन मंगरू जी के यहां कहा कि ठहर जाये तो कहा कि नहीं, हमारे यहां मौका नहीं है। तो हमारी दशा ऐसी है। हमारे मिनिस्टर लोग अगर गरीब मिनिस्टर होते तो उन्हें गरीबी का हाल मालूम होता, क्योंकि वह करोड़पति घराने के हैं, हमेशा बंगाली रसगुल्ले खाते रहे हैं तो उन्हें गरीबी के बारे में क्या पता कि गरीबी क्या होती है ? मैं कोई बुराई की बात नहीं कहती हूं। सही बात बताती हूं।

आज महिलाओं की क्या दुर्दशा है ? उनके पति मर गये। महिलाओं के पास दो दो लड़कियां और लड़के हैं, कैसे शादी करें कैसे उनकी परवरिश करें ? उधर जाओ कलेक्टर साहब के पास तो कहते हैं कि तुम पति की जन्मभूमि का कागज लाओ। उनकी उमर बताओ। स्कूल में जाओ, पता लगाकर लाओ कितनी उमर थी ? वह कहां से करें ? फिर कहते है कलेक्टर साहब कि तहसीलदार से सार्टीफिकेट लाओ प्रमाण-पत्र लाओ, कितनी जायदाद है, कोई गवाह लाओ। तो इतना सब करते करते तो वह हार थक कर यों ही बैठ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। मेरी राय है कि इस बिल में एक बात यह और रखनी चाहिए कि कलेक्टर से या तहसीलदार से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी एक समिति ऐसी बनाई जाय हर एक जिले में पोलिटिकल सफरर्स के लिए और वही लोग इस चीज को जज करें, वही रिपोर्ट देवें क्योंकि यह कलेक्टर और तहसीलदार सुनवाई नहीं करते। एक मेरी यह प्रार्थना है कि उन को दो सौ रुपया कम से कम दिया जाय। आज उनको 50 रुपया मिलता है तो उसमें से दस रुपया या पांच रुपया तो उनके लिए रसगुल्ला खिलाने या समोसा खिलाने और चाय पिलाने में ही निकल जाता है। क्या क्या करना पड़ता है यह बताने की बात नहीं है। जो उनको बचना है उससे उनका कुछ भी काम नहीं चल सकता। इसलिए मेरी अपील यह है कि पहले महिलाओं को जो विधवा हैं, जिनके पति नहीं हैं, जिनके बालबच्चे हैं और रोजी रोजगार का कोई साधन नहीं है, उनको पहले पेंशन मिलनी चाहिए। फिर उनके बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए उन्हें वजीफे मिलने चाहिए और नौकरी में पहले नम्बर पर उनको हक मिलना चाहिए। जब सन् 42 का आन्दोलन चल रहा था तो ये नेता लोग और बड़े बड़े लोग तो भाषण दे कर चले जाते थे, फिर हम लोग ही झन्डे लेकर आगे जाते थे, जंगल कानून, पुलिस कानून, चौकी कानून, डाकखाना कानून यह सब हमीं को भुगतना पड़ता था। तो हमारे जो गरीब हरीजन और आदिवासी तथा दूसरे ऐसे लोग उसमें गए आज उनकी कोई सुनवाई नहीं है और जो चापलूसी करते हैं, मिनिस्टर के आगे और पीछे चला करते है यस और नो करते रहते है उनका काम हो जाता है। और हिन्दी वालों की तो कोई पूछ ही नहीं है।... (व्यवधान)... राजाओं ने भी हमारे साथ कम ज्यादती नहीं की। यह पुलिस और थानेदार को बुलवा कर हमें पकड़वा दिया करते थे। इन्होंने भी जनता को खूब मरवाया। तो हमारी

प्रार्थना एक तो यह है कि जमीन ती पोलिटिकल सफरर्स को बिलकुल न दी जाय क्योंकि जमीन पर कतल होते हैं और फिर ऊबड़ खाबड़ जमीन उनको देते हैं जिनमें घास भी नहीं उगती है। तो जमीन देना तो बन्द किया जाय। उनके लिए पेंशन दीजिए। लेकिन यह 45 रुपया, 50 रुपया या 60 रुपया जो पेंशन देते हैं वह नहीं के बराबर है क्योंकि आज होटल में जायें, बेयरर से कहें कि चाय लाओ तो वह 2 रुपये 50 पैसे का बिल ले आता है। तो बताइए 45 रुपये महीने में वह क्या करेगा? बुड्ढा है, आंख नहीं है, चल नहीं सकता। उसके लिए कोई सेवा करने वाला चाहिए, रोटी बनाने वाला चाहिए। लेकिन 45 रुपये जो उसको मिलते हैं उसमें वह क्या खाएगा क्या करेगा? जब तक उसको दो सौ या ढाई सौ रुपये न मिलें तब तक उसकी पत्नी या बहू भी उसको रोटी नहीं देती। कहती है कि 45 रुपये में क्या होगा? उसकी सेवा के लिए भी तो उसको कुछ चाहिए। आजकल की लड़कियां श्वसुर और सास की सेवा नहीं कर सकतीं। बाहर निकाल देती हैं। कहती हैं चले जाओ ब्लडी फूल, कौन तुम्हारी सेवा करेगा? तो जब तक उसको दो सौ ढाई सौ रुपये नहीं मिलेंगे तब तक कोई उसकी सेवा नहीं करेगा। हां, दो सौ ढाई सौ मिलेंगे तो उसके लड़के और बहू को भी लोभ रहेगा कि हर महीने 250 रुपए आते रहेंगे, फिर वह उसकी सेवा भी करेंगे।

16.37 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

हमारे प्रान्तों में जो मुख्य मन्त्री बैठे हुए हैं उनको भी आदेश मिलना चाहिए, उनको यह कहना चाहिए कि कोई भी पोलिटिकल सफरर हो तो उसके साथ इन्साफ होना चाहिए। आज जो हम साढ़े तीन सौ के बहुमत में आए हैं यह हमारे जो पुराने पोलिटिकल सफरर्स हैं उनके कारण ही आए हैं और मैं यह कहती हूं कि आपने अगर उन कार्यकर्त्ताओं को, पुराने पोलिटिकल सफरर्स लोगों को साथ नहीं लिया तो भविष्य में बहुमत नहीं आएगा। हम उनको वचन दे कर आए हैं कि दादा साहब, बहन जी, हम जाते हैं, आपके लिए लड़ेंगे और आपका जो हक है वह दिलाएंगे। एक तो गरीबी दूर नहीं हुई। लोग अभी भी कहते हैं कि हाय गरीबी क्या करें? तो मेरा मतलब है कि आप सोच समझ कर कदम उठाइए और इसमें और संशोधन करके इसे लाइए। इसमें बहुत सी चीजें रह गई हैं। मैं भी गोआ के आन्दोलन में गई हूं। मुझे भी दो गोलियां लगी हैं। एक हाथ मेरा यह देख लीजिए, इसमें गोली लगी है... (व्यवधान) ...जनसंघ वालों को भी मैं जानती हूं। वह झंडे के सामने कभी नहीं आए। क्या बात करते हैं? हमसे पूछें जरा जो वहां मौजूद थे। जब कभी लड़ाई का मौका आया तो यह पीछे भागते थे और जब कुछ लेन देन का मौका आता है तो यह आगे आ जाते हैं। मैं यह कह रही थी कि गोआ में जितने लोग हमारे मारे गए, सन् 1955 में मुझे मालूम है बहुत से लोग गोलियों से मारे गए, बहुतों की आंखें फोड़ दी गई, बहुतों के हाथ पांव काट दिए गए, बड़ी दुर्दशा हुई है, मैं भी उनमें मौजूद थी, तो मेरी अपील है कि जितने ऐसे लोग गोआ प्रान्त के हैं उनको भी पेंशन मिलनी चाहिए और उन्हें भी वही सम्मान मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने भी वहां पर बड़ी कुर्बानियां की है। पोर्चगीज लोग ऐसे ही आसानी से नहीं भागे थे। हम लोगों ने, हमारी जनता ने वहां बड़ी कुर्बानी की है। इसलिए गोआ वालों को भी ऐसे अवसर पर नहीं छोड़ देना चाहिए। क्योंकि एक दफा मैंने मिनिस्टर साहब से पूछा कि गोआ के सम्बन्ध में क्या कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि वह तो अलग प्रान्त है, उसको बाद में देखेंगे। वह हिन्दुस्तान में नहीं है। अरे, कैसे नहीं है। हम कहते थे कि गोआ भारत का है और गोआ भारत एक हो, लाठी गोली खाएंगे, हम गोआ जाएंगे, सालाजार मुर्दाबाद, इन्क्लाब जिन्दाबाद, यह नारे हम लगाते थे, इसलिए हमारी प्रार्थना है कि गोआ वालों को भी आपको देखना चाहिए। वहां जो ऐसी महिलाएं हैं जिनके पति

[श्रीमती सहोदराबाई राय]

मर गए हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं हैं, उनकी लड़कियां हैं, उनको नौकरी मिलनी चाहिए और उनकी शादी के लिए रुपया उनको मिलना चाहिए।

इसलिए आप एक ऐसा बिल जल्दी ले आएं जिसमें ऐसा हो जाय कि उन्हें मालूम पड़े कि उनके लिए भी कुछ हो रहा है। वरना 72 का चुनाव आ रहा है, यह जनसंघ वाले जा कर उनको बहकाएंगे। इनको तो अमरीका से रुपया आता है और हम जानते है क्या क्या इनके यहां होता है। इसलिए एक ऐसा बिल ला कर उसको जल्दी से पास करिए। इस बिल में अगर कोई गलती है, खामी है तो फिर से इसको सुधार करके सही रूप में लाइए और हम लोग उस को पास करेंगे। पहले तो राजा महाराजा होते थे तो जागीर मिलती थी, अब उन्हें आप इज्जत देकर उनका सम्मान बढ़ाइए। जो पोलिटिकल सफरर्स हैं उन्हें इज्जत दीजिए ताकि वह हमारे कन्धे से कन्धा मिला कर काम करें।

SHRI S. C. SAMANTA (Tamluk) : Mr Deputy-Speaker, Sir, I am very sorry that the Bill which is before us is being discussed when no Minister is present in the house. (*Interruption*) The Deputy Minister is there. But the subject is one which should have drawn the attention of the whole Cabinet; and the whole Hose is being neglected in this way, and they are laughing. (*Interruption*) No fullfledged Cabinet Minister is present; not even one. There is scarcity of Ministers. Perhaps you have to advertise in the papers for some Ministers to be present in the House. For their presence in the house you have to give an advertisement; It is a very sorry state of affairs. Who is hearing ? The Deputy Minister is hearing, on what Prof. S. L. Saksena has brought before the House.

We all owe so much to those who brought freedom to the country. We must give our appreciation, if not in money at least in some other form. That is the idea of my friend Mr. Saksena. I also brought forward one Bill but that has not seen the light of the day. It is before the House since 1962. Now, I am glad that this time Mr. Saksena had the good fortune of bringing forward this Bill before the House.

I am not accusing the Central Government or the State Government. They did their minimum to the political sufferers; they should have done their maximum. My friend is asking the Central Government to do the things which should be done. But I know that almost every State in India has been thinking about them. There are so many committees for freedom fighters, for political sufferers. I was a Member of the Committee which was formed in West Bengal Which collected the names and addresses of persons who participated in the freedom movement and suffered. I do not know whether other States had done this. The Central Government had given aid to those sufferers whose condition was brought before them. But why not the Government try to list those people who suffered and redress their difficulties to the maximum extent possible ?

The State Govenments are giving pensions to some freedom fighters or members of their families at the rate of Rs. 5 per month, to some at Rs. 10 per month and to some at Rs. 100 or 200 or 300 per month. But it is not a settled or fixed affair; it is not done the way it should be done.

So, there is necessity of some Bill and my friend has brought forward this Bill. I would request you to see that this Bill is taken to the next day. We should like the Prime Minister to be prosent for the consideration of this Bill to hear what we the Members of Parliament feel about the political sufferers and the freedom fighters of the country. The Home Minister should be here; so also the Finance Minister because he will have to sanction money. That is why I want the discussion to be extended to the next day. This should be discussed in their party meeting also so that something could be done. They are those who went to give their life for the freedom of the country; they never thought of any help from anybody; they wonted to sacrifice themselves; they come out for sacrifice, not for asking anything from anybody. Such is

the condition. Those were the people whom we admire from the core of our hearts because they did not want anything, but those who are left behind and are enjoying the fruits of the freedom should see to it that some redress is given to them and their dependents. We have to come forward and give something to them. With these words I commend the Bill to the acceptance of the House.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour) : On a point of order.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will hear you before the House adjourns. Do not disturb the debate.

SHRI R.V. SWAMINATHAN (Madurai) : I am happy and I want to congratulate my hon. friend Shri Saksena for bringing this Bill as it is a very important and urgent one. I have been hearing many speeches, particularly these of Shri Tiwary and Shri Indrajit Gupta who gave very valid reasons and highlighted the importance of the subject.

First of all I want to mention that the expression "political sufferers" should not be used. Mr. Saksena has made use of the correct expression "freedom fighters." In some of the States even now something is being given to these people in the name of political sufferers and the freedom fighters resent being called as political sufferes.

Mr. Seksena, true to his tradition, has come forward with this Bill. I first saw him during the year 1934 in the Bombay Congress session held under the late Babu Rajendra Prasad. Afterwards from that year onwards I have been seeing him in all the AICC meetings as a member of the Congress socialist Party. I think it is an irony that he is now on the other side.

It is difficult to explain the amount of sufferings and sacrifices undergone by our freedom fighters. Mr. A. K. Gopalan, the opposition leader of the Communist (Marxist) party, was underground in Madurai in the years 1939 and 1940 and I was helping him. In 1940 when I was rrested, one of the charges levelled against me was that I was harbouring a Communist and helping him. It was true that I was helping him. Then all of us were warking in the Kisan movement as myself and Mr. A. K. Gopalan were members of the All India Kisan Sabha. So, as a Kisan Sabha worker he came to Madurai and he was with me. Of course he was then in underground. Mr. Gopalan could give more datails about the sufferings of a freedom fighter inside the jail and underground.

In 1932 while I was in the veellore jail in Tamil Nadu along with other Congress prisoners, one fine morning we learned that one Mr. Tiwary (he was in the chair earlier today presiding over the) considered to be the most dangerous revolutionary by the then British Government. Some of us went near the gate and marched along with him upto the Single cell in which he was locked. While he was in Veellore Jail he has also seen the sufferings of the prisoners there including one Shri M. P. Narayana Memon, who was with us in connection with the Mopla rebellion. He was a condemned prisoners, sentenced tater to life imprisonment. When the Congress assumed office in 1937, he was released after suffering imprisonment for more than 15 years. His difficulties were great even after his release as no help was given to him. I know the sufferings of the freedom fighters who participted in the 1930 and 1932 movements along with me. During 1931, in my village, I started a reading room by the name of "Jawaharlal Nehru Reading Room". Congressmen who came to my village with other friends from Madurai to attend meetings suffered Lathi Charge as we disobeyed the prohibitory order under Sec. 144 by police. They did not arrest us, but lathi-charged us. Luckily I escaped without serious injuries, but one of my friends received severe injuries and he was in hospital for a long time. In 1932, he was also with me in jail. Today he writes to me saying he is sick and he has no money to buy medicine. All these people have suffered for the cause of the country.

My friend, Mr. Bhibuti Mishra was saying that the press does not give inportance to debates like this. There was a conference of the Tamil Nadu Freedom Fighters in Madurai town and some members of the PAC happened to be in Madurai and hon'ble Members like Mr. Murthy, Mr.

[Shri R.V. Swaminathan]

Vikal, Mr. Bhagwat Jha Azad and Mr. Sheel Bhadre Yajee. They participated and addressed the freedom-fighters. Same of the old freedom fighters were so militant in expressing their feelings that it looked as toough they have become young once again. Their feeling was, Members of Parliament and Government are not taking interest in them. Therefore, the feelings expressed by all the members here today must be reported in the press properly, so that the freedom fighters may know that Parliament is taking interest in them, and is aware of their difficulties. I appeal to the press, instead of just giving a two or three line reports..........

MR. DEPUTY-SPEAKER : You cannot refer to anybody in the gallery.

SHRI R. V. SWAMINATHAN : I am sorry; I am a new member. The freedom fighters are not asking for any charity. As a matter of right, they want that Government should recognise first of all their services. I want to cite one more example. One gentleman from Ramanad District near Madurai......(*Interruption*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : You are telling instances of so many people. If you go on like that, you will never come to an end.

SHRI R. V. SWAMINATHAN : I am concluding. After all, people who have suffered in the 1930 and 1932 movement and are living still now are very few. Of course, the 1940-42 movement people are there. But, as Shri Tiwary said, whatever we are going to give is not for all. People who are well off are not going to get. Only people, who are in difficulty and who are suffering, must be provided with decent and sufficient help.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please conclude now.

SHRI R. V. SWAMINATHAN : I do not know what is the attitude of Government. Whether they will accept the Bill or not. If the Government is going to ask Shri Saksena to withdraw the Bill they must give an assurance that they will bring forward another comprehensive Bill in this House incorporating all these points and the feeling expressed in this House. Then, they can ask him to withdraw the Bill. But at least a minimum of Rs. 250 must be given to each freedom fighter and their nomenclature also should be changed from "Political sufferers" to freedom fighters".

श्री झारखंडे राय (घोसी) : उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान की पहली जंगे आजादी के सिपहसालार बहादुरशाह की रंगून के पास जंगल में कब्र बनी हुई है। उस कब्र पर जो पत्थर है उस पर इस प्रकार लिखा हुआ है। हिन्दुस्तान में वह दिन आयेगा जब मेरी मिट्टी हिन्दुस्तान में सम्मान के साथ ले जाई जाएगी और लाल किले के पास दफनाई जायेगी। ऐसी प्रतिज्ञा नेत.जी सुभाषचन्द्र बोस ने भी उस कब्र के सामने खड़ा होकर 1943 में की थी। इस पर मैंने श्री चव्हाण से सवाल पूछा था। लेकिन आज तक उस सिपहसालार का वह अरमान अधूरा पड़ा हुआ है। मैं आग्रह करूंगा कि जो लोग जिन्दा हैं उन्हें पेंशन दी जाए और जो इस प्रकार मर गये हैं उनकी मिट्टी मातृ भूमि को वापस लाई जाये। 1908 में हिन्दुस्तान के एक शानदार विद्यार्थी मदनलाल ढींगरा ने, जो कि सावरकर जी के शिष्य थे, करनल वाइली को लन्दन में गोली मारी थी और उस अपराध में उन्हें फांसी दी गई थी। उनकी जो कब्र अंग्रेजों ने बनवाई उस पर लिखा हुआ है कि हिन्दुस्तान में कभी वह दिन आयेगा जब हिन्दुस्तान के नौजवान और विद्यार्थी हमारी मिट्टी को शान से हिन्दुस्तान में ले आएंगे। मैं चाहता हूं कि उन का वह अरमान आज की सरकार इतने दिनों बाद पूरा करे।

अन्डमन की चर्चा श्री इन्द्रजीत गुप्त ने की है और दूसरे साथियों ने भी की हैं। अन्डमन हिन्दुस्तान के एक दर्जन से अधिक क्रान्तिकारियों का शहीदस्थल रहा है और वहां 1904-1905 से लेकर 1942 तक सैकड़ों क्रान्तिकारी निर्वासित रह चुके हैं। रामरखा, मोहन, मोहित, महावीर आदि ने वहां अपनी भूख हड़ताल में

कुर्बानी की है। उस जेल के बारे में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने, जब पहली बार उन को आजाद हिन्द फौज का कमान्डर इन चीफ बनाया गया था, और उन्होंने पोर्ट ब्लेयर जेल के मुख्य द्वार पर खड़े होकर प्रतिज्ञा की थी, कहा था कि वहां एक शहीद-स्मारक बनाया जायेगा।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The hon. Member may continue next time.

16.59 hrs.

RE : SITUATION ON THE BORDERS

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour) : Sir. I have to make a submission. It is true, it has been continuously upheld that the Government should treat the House with utmost respect and should take it into confidence in all matters of public importance. It is also true that in matters of policy...(*Interruption*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : What are you trying to read ?

SHRI JYOTIRMOY BOSU : Some confusion has been created among the press by what happened in the House this morning. As a result of that the whole country has been deprived of news and what is happening in Agartala and surrounding areas. It is a very tricky matter, you will appreciate.

When the House is in session, it should come before it first with a statement before giving it to the press. But a distinction has to be made between policy and news, If what transpired this morning......... (*Interruption*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : What transpired this morning ?

SHRI JYOTIRMOY BOSU : This morning, during the Zero hour, some hon. Members had raised issues concerning the bombing of Agartala and it was alleged here that the Government was taking the press into confidence but was not coming before the House. As a result, what is happening is that the press is in utter confusion because, unless the matter is placed before the House, they cannot publish anything. Tomorrow is a holiday; day after tomorrow is a holiday...(*Interruption*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have heard you.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : This is a very tricky matter.

MR. DEPUTY-SPEAKER : What I understand is this......

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : Before you say anything, let me clarify one point.

SHRI P. K. DEO (Kalahandi) : Sir, n the morning, the Speaker gave a specific directive to the Government that they should come out with a statement as to what is happening in Tripura, etc. Tomorrow is a holiday; day after tomorrow is a holiday. So, for three days, the country will be absolutely in the dark as to what is happening on our borders. It has been kept secret from the House and from the country. The Speaker gave a directive to the Government and, at that time, Mr. Shukla nodded his head and we expected that some statement will come from the Government before the House adjourns today.

SHRI JYOTIRMOY BOSU : This House should not come in between the press and the people. The whole country is news hungry. Unless all the things are given correctly, there will be more confusion and more damage done.

SHRI S. M. BANERJEE : When this question was raised by the hon. Member, Shri Indrajit Gupta, and others, I do not think anyone of us thought the Government should not come out with a statement before the House. The briefing is done to the press. But the Members are not taken into confidence and no statement is coming from the Government. I do not think we stand in the way of briefing the press. I do not think the Speaker's directive has caused any confusion. I think, there was no confusion. The Speaker said that the Government should come out with a state-